251

Sl. No. 36(R)

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

F-RGT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

क्षेत्रीय कार्यालय - राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव
Regional Office - Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, Daman & Diu
कमरा नं. 101 व 102, प्रथम तल, खण्ड-ए, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023
Room No. 101 & 102, 1st Floor, Block-A, Kendriya Sadan, Sector-10, Vidyadhar Nagar, Jaipur-302023
दूरभाष एवं फैक्स नं. - 0141-2235488, Telefax : 0141-2235488

पत्रावली संख्या/File No. : दिनांक/Date :

पत्रावली संख्या - 6/2/राज./4/2011-आर.यू. दिनांक - 30/05/2012

NKC(L)

सेवामें,

श्री सुरवेन्द्र
निजी सचिव
माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
छठी मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003

DD
Please put up to Chairperson for approval
19/06

विषय - माननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, महोदय की दिनांक - 22/2/2012 से 25/2/2012 तक जिला - उदयपुर, राजस्थान के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट।

679/19/6/2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष, की दिनांक - 22/2/2012 से 25/2/2012 तक जिला - उदयपुर, राजस्थान के राजकीय प्रवास की ड्रॉफ्ट (प्रारूप) रिपोर्ट सलंग्न कर आपके अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित् है।

सलंग्न - यथोपरि।

भवदीय

(डॉ. जी. एस. सोमावत)
निदेशक

Rajasthan Review

प्रति - संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003 को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निदेशक

प्रारूप

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर

मानननीय डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक - 22/2/2012 से 25/2/2012 तक जिला - उदयपुर, राजस्थान के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट

आयोग मुख्याल, नई दिल्ली के वितन्तु संदेश संख्या - टीपी/सीपी/एनसीएसटी/2012/4 दिनांक - 15/02/2012 की अनुवृति कार्यवाही के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं एवं अत्याचार प्रकरणों की समीक्षा तथा मानननीय अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव के दिनांक - 22/2/2012 से 25/2/2012 तक जिला - उदयपुर, राजस्थान के राजकीय प्रवास कार्यक्रम के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभागो तथा कलक्टर - उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखे गये जो कि अनुलग्नक - 1 एवं अनुलग्नक - 2 पर सलंग्न है।

दिनांक - 22/02/2012

दिनांक - 22/02/2012 को मानननीय अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली से अपरान्ह 3.30 बजे उदयपुर सर्किट हाउस पहुँचे। उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा, परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा आदिवासी विकास मंच, कोटड़ा के पदाधिकारियों द्वारा मानननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया।

दिनांक - 23/02/2012

आस्था संस्थान, उदयपुर के सहयोग से आदिवासी विकास मंच, कोटड़ा के तत्वाधान में विगत 15 वर्षों से आयोजित किये जा रहे "मिलन मेला" में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

मिलन मेले के दौरान मानननीय अध्यक्ष ने अपरान्ह बिकरनी में जिला प्रशासन द्वारा गतिमान मोबाइल सेवा व्यवस्थाओं का भी अनुभव लिया। सायं 4.00 बजे मिलन मेले के शुभारम्भ में मानननीय अध्यक्ष महोदय का आस्था संस्थान के श्री भंवर सिंह चदाणा ने फूलमालाओं द्वारा मानननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। आयोग के मानननीय सदस्य

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

श्री भैरूलाल मीणा ने भी मिलन मेला में अध्यक्ष महोदय के साथ कार्यक्रम में भाग लिया गया।

मिलन मेले के मंच से माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदिवासी जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि आदिवासी विकास मंच तथा आस्था संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मिलन मेला आदिवासी समाज को अपनी समस्याओं से प्रशासन एवं आयोग को अवगत कराने हेतु मंच प्रदान करता है। साथ ही मेले के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी आदिवासी समुदाय को प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया की पढ़-लिख कर जनजाति वर्ग के लोग अपनों से अलग हो गए हैं। गिने-चुने मिलेंगे जो अपने वर्ग के उत्थान के लिए समर्पण रखते हों। वे लोग खुद को जनजाति से मानने लग गये है। उन्होंने मिलन मेले के मंच से युवाओं से आह्वन किया कि खूब पढ़ लिख तरक्की करो, परन्तु अपने समाज, संस्कृति एवं देश से विछोह न हो। आदिवासी बालिकाओं में शिक्षा, नशे के विरूद्ध संगठनों के माध्यम से जागरूकता, आदिवासी हस्त शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिक श्रम करने की आवश्यकता पर बल दिया। आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम - 2006 के प्रावधानों के अनुसार इनकी कार्यान्वयन की प्रगति पर अंसतोष व्यक्त किया।

दिनांक - 23/02/2012 की रात्रि को माननीय अध्यक्ष महोदय कोटड़ा से उदयपुर वापिस पहुँचे।

<u>दिनांक - 24/02/2012</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्य महोदय का माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के निदेशक श्री वेनेश सिंघवी द्वारा संस्थान पहुँचने पर स्वागत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के सभागार में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों को अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन अधिकार कानून तो बना दिया, लेकिन पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रप्रतिनिधियों ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रदान की जा रही **<u>"राजीव गांधी"</u>** छात्रवृत्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिशत के स्थान पर 50

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रतिशत करने की मांग रखी। जिससे अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्य द्वारा संस्थान के आदिवासी संग्रालय का अवलोकन भी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपनी पत्रकारवार्ता में गुजरात सरकार द्वारा जनजाति विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना करी। माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुसार गुजरात में आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है। गुजरात सरकार की इस पहल को पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला आदिवासी बच्चे का स्तर पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे का स्तर दूसरी कक्षा के बराबर है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि जिस तहसील का शिक्षक है उसे वहीं नियुक्ति दी जाती है, जिससे वह स्कूल में बराबर उपस्थिति देता है। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी, गैर हाजिर रहने जैसी समस्या से निजात मिल सकेगी। उदयपुर संभाग के बारे में उन्होंने कहा कि यह राजस्थान का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसके लिए यहां सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करना होगा।

आदिवासी इलाकों में असंतोष जनित आक्रोश के कारण नक्सलवाद पनप सकता है। सरकार ने कानून बना दिए और ट्राइबल फंड भी है, लेकिन आदिवासियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ट्राइबल फंड का उपयोग भी नॉन ट्राइबल एरिया में खर्च हो रहा है।

<u>मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक</u>

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा आयोग के पत्र दिनांक - 15/11/2011 के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक - 12/12/2011 द्वारा आयोग मुख्यालय को लिखित में विभिन्न बिन्दुओं पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। जवाब के साथ विश्वविद्यालय ने सभी पद आधारित स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना प्रस्तुत की **<u>अनुलग्नक - 3</u>** पर स्थित है।

दिनांक - 24/2/2012 को मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सेवाओं एवं प्रवेश में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में किया गया। बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय का उपकुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। उपकुलपति महोदय द्वारा बैठक में बताया गया कि

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के लगभग 100 शोधकर्त्ता विद्यावाचस्पति (PHD) में अध्ययनरत है। बैठक में उपस्थिति सहभागियों की सूची **अनुलग्नक - 4** पर सलंग्न है। विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रकोष्ठ कार्यरत है। डॉ. हनुमान सिंह को वर्तमान सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जाति तथा जनजाति नांमित कर रखा है। बैठक में उपस्थित छात्र प्रतिनिधियों तथा शोधार्थियों ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवाओं में पद आधारित रोस्टरों का संधारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया में बैकलॉग रिक्तियाँ पूरी नहीं करी गई तथा यह भी बताया गया कि साक्षात्कार पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिये गये तथा दूरभाष के माध्यम से उम्मीदवारों को सूचित कर चहेतो को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया।

छात्र प्रतिनिधियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह भी मांग रखी गई की छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के पद रोटेशनल प्रणाली (परिवर्तित प्रणाली) के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित किये जाने चाहिये।

छात्रवृत्ति भुगतान के संदर्भ में आरक्षित वर्ग के छात्रों ने अवगत कराया कि छात्रवृत्ति भुगतान से पूर्व पर्यवेक्षक एवं सम्बन्धित प्रोफेसर द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र देने में आना - काना करते है अथवा समय पर प्रमाण पत्र नहीं देते है, जिससे छात्रवृत्ति भुगतान में अनावश्यक देरी होती हैं। जबकि सामान्य वर्ग के शोधार्थियों के लिए उदार रहते है, अत: यह आरक्षित व अनारक्षित वर्ग में भेदभाव नहीं करना चाहिये।

विश्वविद्यालय द्वारा एम.फिल (निष्णात) तथा विद्यावाचस्पति जैसे पाठ्यक्रमों में मोहन लाल सुखाड़िया एवं राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों के छात्रों की तुलना में वरीयता प्रदान की जानी चाहिये। जिससे आदिवासी बाहुल्य वाले उदयपुर सम्भाग के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक प्रवेश मिल सकें।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में 38 विषय संगत विभाग है। जिनमें आरक्षित वर्ग के प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। वहीं रीडर एवं सहायक प्रोफेसरों के कुल 107 पदों में भी अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है। इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1999 से नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक - 16/09/2010 के द्वारा विभिन्न पदो पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

छात्र प्रतिनिधियों एवं रोस्टर के अवलोकन के उपरान्त ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन संगत विषय को एक अलग इकाई मानते हुए पद आधारित रोस्टरों का संधारण

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

कर रहा है। विषय विशेष में पदों की संख्या कम होने के कारण अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। रिक्तिकी (Vacancy Bases Roster) आधार रोस्टर से पद आधारित रोस्टर में परिवर्तित कर 20/11/1997 के उपरान्त आरक्षित वर्ग के लिए विशेषतौर से सहायक प्राचार्य की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में निर्धारित किये गये पदों का रोस्टर से तालमेल नहीं बैठता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति निर्देशिका - Guidelines for Strict Implementation of Reservation Policy of the Government in Universities, Deemd to be Universities, Colleges and Other Grant-In-Aid Institutions and Centers, 2006 के अनुसार समान वेतन श्रृंखला के पदों को समूहन की विधि द्वारा भरा जाना चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्र क्रंमाक - एफ. 1-5/2006 (एससीटी) दिनांक - 25 अगस्त, 2006 के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को प्रेषित् किया गया है। जिससे अनुसूचित जनजाति को भी विश्वविद्यालय की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया की विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन सही रूप से किया जायें एवं पद आधारित रोस्टर का संधारण करते समय एक से अधिक पद होने की स्थिति में Replacement Roster Point का ध्यान रखते हुए पद आरक्षित किये जाने चाहिये। वर्तमान समय में आरक्षित वर्ग का बैकलॉग हैं, विशेष भर्ती अभियान के द्वारा इसे तुरन्त पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है। जिससे अनुसूचित जनजाति की विश्वविद्यालय की सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकें।

बैठक में उपकुलपति प्रो. आई. वी. त्रिवेदी ने बताया की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में राज्य सरकार के रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के ७ एवं अनुसूचित जनजाति के 4 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। बैठक के दौरान उपकुलपति ने यह भी बताया कि जिन अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही हैं, अब उन्हें अलग से विद्यावाचस्पति अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क में संकाय में टॉपर रहने वाले छात्र को विश्वविद्यालय की ओर से आकाश टेबलेट देने की योजना के बारे में बताया। साथ ही अनुसंधान स्कॉलर्स को कम्प्यूटर सुविधा के लिए एक हजार कम्प्यूटर्स का ऑर्डर देने की भी जानकारी दी। अप्रैल माह में अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को समारोह में सम्मानित करना प्रस्तावित भी बताया।

विश्वविद्यालय ने गैर शैक्षणिक कार्यदल पदों के पद आधारित रोस्टरों का संधारण नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रकोष्ठ को भी सभी पदों के पद आधारित रोस्टरों का अवलोकन/निरीक्षण कर वार्षिक रिपोर्ट उपकुलपति महोदय को प्रस्तुत करनी चाहिये। वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रशासन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रकोष्ठ, छात्र संगठनों इत्यादि में एकीकृत समन्वय करने की आवश्यकता है। जिससे आरक्षण नीति के नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जा सकें।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने बताया कि भर्ती के समय साक्षात्कार में आने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किराया नहीं दिया जाता है। जिसके सम्बन्ध में उपकुलपति महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार से दिशा-निर्देश स्पष्ट करने हेतु पत्र लिखे गये पत्र **अनुलग्नक - 5** सलंग्न है।

बैठक के अन्त में छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के जरिए प्रवेश के समय अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कैरियर काउंसलिग करने और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मदद पहुंचाने के लिए कहा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के कोष से बने हॉस्टल में अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता देने तथा रिक्त सीटें रहने पर ही अन्य को प्रवेश देने के निर्देश दिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य महोदय द्वारा बैठक समाप्त होने पर विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित छात्राओं के छात्रावास का आवलोकन किया गया तथा छात्रों के लिए निर्माणाधीन छात्रावास का भी अवलोकन किया, जिसका निर्माण जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक मदद से किया जा रहा है। निर्माणधीन छात्रावासों में आगामी सत्र से विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के उदयपुर राजकीय प्रवास के संदर्भ में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार **अनुलग्नक -6** पर सलंग्न है। उक्त राजकीय प्रवास के दौरान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के डॉ. जी. एस. सोमावत, निदेशक माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ रहे। दिनांक - 25/2/2012 को सायं माननीय अध्यक्ष महोदय उदयपुर से नई दिल्ली के लिये प्रस्थान किया।

****

Rameshwar Oraon

डा० रामेश्वर उरांव / Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष / Chairman
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi